कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

एस.बी.सिविल याचिका संख्या 12372/2019 युवराज सिंह चौहान बनाम राजस्थान राज्य व अन्य तथा अन्य समान याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित समेकित निर्णय दिनांक 26.07.2019 में अप्रार्थीगण को एस.बी.सिविल याचिका संख्या 6222/2017 सुरेश कुमार छींपा बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.04.2017, एस.बी.सिविल याचिका संख्या 7907/2019 सरोज चौधरी बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 01.05.2019 तथा एस.बी.सिविल याचिका संख्या 15668/2012 मोनिका मील बनाम उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा व अन्य में पारित आदेश दिनांक 03.10.2012 के आधार पर याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को निस्तारित करने के निर्देश दिये गए।

याचिकार्थी ने अपने अभ्यावेदन में मुख्य रूप से यह कथन किया है कि प्रयोगशाला सहायक ग्रेड III भर्ती परीक्षा 2016 में याचिकार्थी को वरीयता क्रमांक 392 पर चयनोपरान्त विभाग द्वारा वरीयता क्रमांक के आधार पर गृह जिला कोटा आवंटित न कर झालावाड़ जिला आवंटित किया गया जबकि याचिकार्थी से निम्न वरीयता क्रमांक के अभ्यर्थियों को कोटा जिला आवंटित किया गया। अतः याचिकार्थी ने अभ्यावेदन प्रस्तुत रा.उ.मा.वि. रनायरा जिला झालावाड़ से कोटा जिले में पदस्थापित करने की मांग की है।

याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.07.2019 के परिप्रेक्ष्य एवं विभागीय नियमों, अभिलेखीय व नीतिगत स्थिति के सम्बन्ध में गहन अवलोकन व परीक्षण किया गया। प्रयोगशाला सहायक ग्रेड–III भर्ती परीक्षा 2016 में चयनित अभ्यर्थियों को जिला आवंटन बाबत् राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त दिशा–निर्देश दिनांक 19.12.2017 एवं 23.01.2018 के अनुसार "जिलेवार विज्ञापित पदों की संख्या के बराबर अभ्यर्थी उस जिलें को आवंटित किए जाएंगे। प्रयोगशाला सहायक ग्रेड–III की रिक्तियों (आरक्षण सहित) की गणना जिलेवार ही की जाती है अतः जिलें के चयन वर्गवार (सामान्य/आरक्षित श्रेणियॉ यथा महिला/एससी/एसटी/ओबीसी/एसबीसी/ विकलांग/भूतपूर्व सैनिक/विधवा–परित्यक्ता आदि) विज्ञापित पदों की संख्या के अनुरूप वर्गवार मेरिट के आधार पर अभ्यर्थियों से विकल्प पत्र आमंत्रित किये जाकर अभ्यर्थियों द्वारा दी गई जिलें की प्राथमिकता के अनुसार जिला आवंटन किया जावेगा" के निर्देश दिए गए थे, जिसके अनुसार ही जिला आवंटन किया गया है।

याचिकार्थी का बोर्ड द्वारा प्रयोगशाला सहायक भर्ती परीक्षा 2016 में चयन वर्ग GENM (सामान्य पुरूष) में वरीयता क्रमांक 392 पर चयन कर पत्र दिनांक 10.01.2018 द्वारा विभाग को अभिस्तावना प्रेषित की। विभाग द्वारा दिनांक 16.01.2018 से दिनांक 28.01.2018 तक चयनित अभ्यर्थियों से जिला आवंटन हेतु ऑन लाईन विकल्प पत्र चाहे गए थे तथा जिन अभ्यर्थियों द्वारा निर्धारित तिथि तक ऑन लाईन विकल्प पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये उन्हें एक मौका और देते हुए दिनांक 05.02.2018 से दिनांक 06.02.2018 तक निदेशालय में ऑफ लाईन विकल्प पत्र चाहे गए थे। इसके उपरान्त भी कुल 163 अभ्यर्थियों द्वारा जिला आवंटन हेतु विकल्प पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः निर्धारित तिथि तक जिन अभ्यर्थियों द्वारा जिला आवंटन हेतु विकल्प पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है उनको विभागीय नीति के अनुसार विकल्प पत्र प्रस्तुत करने वाल अभ्यर्थियों को चयन वर्गवार वरीयता क्रमांक के आधार पर जिला आवंटन के पश्चात शेष रहें रिक्त पदों के आधार पर जिला आवंटन किया गया। निर्धारित तिथि तक याचिकार्थी द्वारा विकल्प पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया, अतः विभागीय नीति के अनुसार चयन वर्गवार जिला आवंटन के पश्चात शेष रहें रिक्त पदों के आधार पर याचिकार्थी को झालावाड़ जिला आवंटित किया गया।

अतः याचिकार्थी द्वारा झालावाड़ जिले के स्थान पर कोटा जिला आवंटित कर पदस्थापित करने हेतु की जा रही मांग उपर्युक्त वस्तुस्थिति एवं विभागीय नियमों के परिप्रेक्ष्य में उचित नहीं पाई गई है। मांग उचित नहीं पाए जाने के कारण इस मांग को अस्वीकृत की जाकर याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन खारिज किया जाता है।

(हिमांशु गुप्ता)
आई.ए.एस.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा–माध्य/संस्था/एफ–2/को.के./13002/2019 दिनांकः 20·01·2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. संयुक्त विधि परामर्शी, कार्यालय हाजा को पत्रांक शिविरा/माध्य/विधि/बी–2/जय/निर्णय/29811/जे/19 के क्रम में।
2. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु
3. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) झालावाड़/कोटा
4. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक–विधि) जयपुर
5. याचिकार्थी श्री युवराज सिंह चौहान पुत्र श्री भंवर सिंह चौहान, निवासी मकान नं. 768, आर.के.पुरम–ए, जिला–कोटा (रजिस्टर्ड)
6. रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)